न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 1/24 सन् 2024

GCMS NO-2024/10

बउनवानीः— 1. बदरीलाल दत्तक पुत्र रामकुंवार नेचुरल सन ऑफ घांसीलाल जाति पूर्विया निवासी भगवतगढ तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सुवालाल पुत्र जुहारीलाल महाजन निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा
2. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 956 निर्णय दिनांक 5.6.1976 वाके ग्राम भगवतगढ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः—1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट

—: निर्णय :— दिनांक 18.12.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा संख्या 956 दिनांक 5.6.1976 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. 1 की तलबी जरिये अखबार मे स्याहा से करवायी गयी तामील नोटिस के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट को ना तो कोई नोटिस जारी किया और ना ही अन्य किसी प्रकार से सुनवायी एवं सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान किया जबकि अपीलान्ट का नाम इस नामा0 के कॉलम संख्या 5 मे मुर्तहीन के रूप मे दर्ज था रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी वगै. मे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व ही चला आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी उचित व वैद्य आदेश के इस नामा0 द्वारा हजफ कर राहीन सुवालाल पुत्र जुहारीलाल महाजन के नाम भरा है जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया प्रपत्र/आदेश केवल उन्ही रहन मुर्तहीन के मामलो के लिए पारित किया गया था जो कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के पश्चात अर्थात सन् 1955 के बाद प्रभाव मे आये हो तथा केवल ऐसे रहन मुर्तहीन के मामलो मे भूमि को रहन बागोजास्ती कर मुर्तहीन का नाम हजफ कर केवल राहीन के नाम ही नामा0 दर्ज करने का आदेश सरकार ने दिये गये थे तथा उसी आदेश की पालना के लिए श्रीमान ने भी जनरल आदेश निकाले थे लेकिन विवादित नामा0 मे रहन मुर्तहीन के इन्द्राजात राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के कई वर्षो पूर्व से ही रिकार्ड में दर्ज चले हुए आने कारण सरकार का आदेश इस पर लागू नही होते, लेकिन इसके बावजूद भी पटवार हल्का ने गलत एवं नाजायज रूप से रहन बागुजास्ती का यह विवादित नामा0 भर दिया तथा तहसीलदार ने इस पर विधिवत गौर न फरमाकर एवं सरकार के प्रपत्र/आदेश का अध्ययन न कर एवं इसके विपरीत जाकर इसे स्वीकार कर तस्दीक फरमा दिया है जो अवैध है। यह तर्क भी दिया कि नामा0जैर अपील की विवादित भूमि ख0न0 1159 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के वर्तमानख0न0 1356 रकबा 0.82 है0 बने है जिस पर अपीलान्ट शुरू से आज दिन तक काबिज होकर

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

काश्त करता आ रहा है तथा सुवालाल पुत्र जुहारीलाल महाजन का मौके पर कब्जाकाश्त नही रहा है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 तस्दीक करने से पूर्व मौके पर कब्जेकाश्त के बारे मे भी कोई जानकारी की जबकि अपीलान्ट का अपने पिता के समय से ही मौके पर कब्जाकाश्त चला आया होने के बावजूद भी मुर्तहीन रेस्पो0 के पक्ष में नामा. स्वीकार किया है जो न्यायोचित नही है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व नामा0 नियमों की पालना नही की गयी है। अपीलान्ट एक गरीब एवं भूमिहीन काश्तकार है जो मौके पर शांतिपूर्वक उक्त भूमि पर काश्त करता आया है तथा अपीलान्ट के कब्जे काश्त में कभी कोई अवरोध पैदा नही होने के कारण अपीलान्ट को पूर्व मे कभी इस भूमि के राजस्व रिकार्ड को देखने की आवश्यकता नही पडी, इस कारण अपीलान्ट को पूर्व मे इस नामा0 की कोई जानकारी नही हो सकीं। दिनांक 13.12.2023 को अपीलान्ट पटवार हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लने गया तो पटवारी ने अपीलान्ट को नामा0 की जानकारी देते हुए कहॉ कि रहन बागुजास्ती के रिकार्ड में केवल सुवालाल महाजन का नाम दर्ज कर दिये जाने से उसी का नाम खातेदारी कॉलम मे दर्ज चला आया है। इस नामा0 को निरस्त कराने पर ही तुम्हारा नाम दर्ज हो सकता है। इस प्रकार नामा0 की प्रथम बार जानकारी होने पर दिनांक 14.12.2023 को जिला रिकार्ड रूम में नकल आवेदन पत्र पेश कर उसी दिन नामा0 की नकल प्राप्त होने पर अपील जानकार से अन्दर मयाद मय दफा 5 के पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट के कथनानुसार आदेश जैर अपील से संबधित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने एवं नामा0 के कॉलम संख्या 5 मे अपीलान्ट का नाम मुर्तहीन दर्ज होने के बावजूद भी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 956 दिनांक 5.6.1976 पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर नही दिया गया है। हमारे द्वारा विवादित आदेश जैर अपील का परीक्षण करने पर पाया गया है कि उक्त नामा0 संख्या 956 जिलाधीश सवाईमाधोपुर कि आदेश क्रमांक 1661 दिनांक 2.3.1976 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है इसलिए आदेश जैर अपील मे से अपीलान्ट का नाम मुर्तहीन सही हटाया गया है। आदेश जैर अपील मे से अपीलान्ट का नाम मुर्तहीन गलत तरीके से हटाने बाबत किये गये कथन के समर्थ मे अपीलान्ट द्वारा कोई विधिक दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया कोई ओर ना ही कोई विधिसम्मत कारण बताया है। चूंकि आदेश जैर अपील का जिलाधीश के आदेश की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है इसलिए अपीलान्ट उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय मे चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner